लोक सुनवाई की कार्यवाही

बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा बहुआर नदी में बांध बनाकर सिकन्दरा प्रखंड में खरीफ एवं रबी सीजन के दौरान सिंचाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुंडघाट रिजर्वायर योजना के क्रियान्वयन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई दिनांक 30.09.2018 को निरीक्षण भवन, सिंचाई आवासीय परिसर सिकन्दरा में अपर समाहर्त्ता जमुई की अध्यक्षता में की गई। इस लोक सुनवाई की सूचना दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, द टाईम्स ऑफ इंडिया एवं हिन्दुस्तान टाईम्स में दिनांक 25.08.2018 को प्रकाशित की गई थी।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् बरौनी द्वारा लोक सुनवाई में आये हुए सभी महानुभावों का स्वागत किया गया। इनके द्वारा लोकसुनवाई के महत्व एवं परियोजना के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी साथ ही यह भी बताया गया कि परियोजना के पर्यावरण प्रबंधन के संबंध में पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसके संबंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा विस्तृत जानकारी आप सबों को दी जायगी।

श्री निवास चन्द्र वर्मा, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल सिकन्दरा द्वारा कुंडघाट रिजर्वायर योजना के संबंध में उपस्थित महानुभावों को अवगत कराया गया कि खरीफ एवं रबी फसल के सिंचाई हेतु नहर की माँग काफी दिनों से था। इस योजना के क्रियान्वयन से इस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी जिससे लोगों का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा भू–जल स्तर में भी सुधार होगा।

पर्यावरण सलाहकार श्री विजय शर्मा द्वारा उपस्थित सभी महानुभावों को अवगत कराया गया कि इस परियोजना में कुल जमीन 93.44 हेक्टर की आवश्यकता होगी जिसमें से 60.41 हेक्टेयर वन विभाग, 23.83 हेक्टेयर प्राईवेट जमीन मालिक 5.52 हेक्टेयर सरकारी जमीन एवं 4.68 हेक्टेयर पंचायत का जमीन है। इस परियोजना के आने से विस्थापन की कोई समस्या नहीं है तथा बाँध निर्माण के पश्चात् किसी गाँव के डुबने की संभावना नहीं है। परियोजना के निर्माण समय में वाहनों के आवागमन एवं कार्य करने के दौरान वायु प्रदूषण की संभावना होगी जिसे नियमित रूप से सभी सड़को एवं जगहों पर जल छिड़काव कर दूर किया जायगा। नहर के दोनों बाँध के किनारे सघन वृक्षारोपण का भी प्रस्ताव है। इस परियोजना के आने से जल, वायु एवं ध्वनी प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है। तत्पश्चात उपस्थित व्यक्ति द्वारा निम्न सुझाव दिए गये;

	नाम एवं पता	सुझाव / प्रतिक्रिया
1.	श्री नागेश्वर प्रसाद, पूर्व मुखिया, ग्राम–रवैच	यह योजना स्थानीय जनता किसान के लिए लाभकारी होगा। इसके निर्माण हेतु गुणवत्ता का ध्यान रखा जाय साथ ही परियोजना के अंदर आनेवाली नहर के दोनों किनारे सघन वृक्षारोपण कराई जाय।
2.	श्री चमारी महतों, नावाडीह	इस परियोजना से पर्यावरण को कोई क्षति नहीं है। नहर के दोनों किनारे पर वृक्षारोपण होने से वन विभाग का प्रयुक्त जमीन का भरपाई हो जायगी। यह किसानों के लिए लाभकारी परियोजना है।
3.	श्री योगेन्द्र मंडल, मिश्रडीह	परियोजना के लगने से सिंचाई की समस्या दूर हो जायगी। इससे रोजगार मिलेगा एवं पर्यटन का भी विकास होगा। भू–जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। मछली पालन की सुविधा होगी।
4.	श्री उमेश महतों, रवई गोकुला–फतेहपुर पंचायत श्री अनिल महतों, रवई	इस परियोजना के आने से किसानों में खुशीयाली है। इनकी स्थिति सुदृढ़ होगी। क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम होगी। परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र कराई जाय। हमलोगों को कोई आपत्ति नहीं है।
5.	श्री मनोज मिश्रा, गोकुल–फतेहपुर पंचायत	इस परियोजना के आने से किसानों को लाभ ही लाभ है। हमलोग इसका स्वागत करते है। निर्माण कार्य जल्द कराई जाय। जिन किसानों को जमीन इस परियोजना में ली जा रही है उसके मुआवजा की राशि पहचान कर शीघ्र कराई जाय।

कार्यपालक अभियंता द्वारा आश्वस्त किया गया कि परियोजना के निर्माण के गुणवत्ता पर ध्यान रखा जायगा। गुणवत्ता के जाँच हेतु प्रमंडल की स्थापना की गई है।

अपर समाहर्त्ता, जमुई द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय जनता को इस परियोजना के संबंध में जानकारी देने एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए लोक सुनवाई की गई है। जमुई जिला का सिंचाई कार्य वर्षा पर आधारित है इसलिए वर्षा जल का संचयन

करना अनिवार्य है। परियोजना के आने से विस्थापन या किसी गाँव में बाढ़ की समस्या नहीं होगी पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आमजन से पूछे जाने पर उपस्थित सभी लोगों द्वारा एक स्वर से परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का समर्थन किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् लोक सुनवाई की कार्रवाई समाप्त की गई।

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
वि०रा०प्र०नि०पर्षद,बरौनी

अपर समाहर्त्ता
जमुई